(1)

न्यायालयः माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर,

निग / 5127 – I-15

प्रकरण कमांक /2015 पुनरावलोकन

श्री ... द्वारा आज दि. 24/12/15 को प्रस्तुत

परमसिंह (फोत) पुत्र स्व0 श्री खुशाली वारिसान——

1. श्रीमती सुरजा पत्नी स्व0 श्री परमसिंह कुशवाह आयु– 75 साल व्यवसाय– गृहकार्य
2. लल्लीराम (लक्कीराम) पुत्र स्व0 श्री परमसिंह कुशवाह आयु–56 साल व्यवसाय–काश्तकारी
3. उदयवीरसिंह पुत्र स्व0 श्री परमसिंह कुशवाह आयु– 54 साल व्यवसाय– काश्तकारी
4. सोनपाल (सोनी) पुत्र स्व0 श्री परमसिंह कुशवाह आयु– 50 साल व्यवसाय– काश्तकारी निवासीगण– ग्राम अमायन तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड, म0प्र0

——आवेदकगण

बनाम

रतनपाल (फोत) पुत्र स्व0 श्री गुरूदयाल फोत वारिसान——

मुन्नीलाल पुत्र स्व0 श्री रतनपाल कुशवाह आयु– 50 साल व्यवसाय– काश्तकारी निवासी– ग्राम अमायन तहसील मेहगांव, जिला भिण्ड, म0प्र0 ——अनावेदक

पुनरावलोकन आवेदन अन्तर्गत धारा 51 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध आदेश दिनांकी 01/12/2015 पारित

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 4127–एक/15 **जिला –भिण्ड**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
1 .2.16	आवेदक की ओर से श्री जे0 एस0 गौड एवं श्री एस0 के0 श्रीवास्तव अधिवक्तागण उपस्थित। आवेदकगण पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदकगण पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया। 2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1895–एक/2011 में पारित आदेश दिनांक 1.12.15 के विरूद्ध प्रस्तुत पुर्नविलोकन प्रकरण कमांक 4127–एक/15 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्तागण के तर्क सुने गये । 3– आवेदकगण के अधिवक्तागण की ओर से पुर्नविलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1895–एक/2011 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेश दिनांक 1.12.15 से किया जा चुका है। 4– रिव्यु प्रकरण कमांक 4127–एक/15 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुर्नविलोकन में जो आधार बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–	

रिव्यु 4127.1/15 भिण्ड

(9)

प्रकरण कमांक रिव्यु 4127—एक / 15

अ— नई एवं महत्वपूर्ण बात / साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

ब— अभिलेख से प्रकट कोई भूल / गलती ।

स— कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नही पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य

Noted